

04446
2023/730

पंचायत गांवों के नए अधिनियम 2023

रिपोर्ट पटवारी हल्का कोटडी सिमारला

वर्तमान राजस्व ग्राम कोटडी सिमारला के खाता संख्या 103 के स्वामि
का नाम शमोचन्द पुत्र मालीराम जाति जाट रिजर्व दर्ज है।
जबकी शर्मा के शर्मानाथ व अन्य दस्तावेज आधार पर नाम
का नाम सोहन लाल सामोटा दर्ज है। अतः शर्मा का नाम
शमोचन्द के स्थान पर सोहन लाल सामोटा किया जाना
उचित होगा।


रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक वृत्त जोरावर नगर



श्रीमानजी मुताबिक पटवारी रिपोर्ट, शर्मा शर्मानाथ व
अन्य दस्तावेजों के आधार पर शर्मा का नाम
राजस्व रिजर्व में शमोचन्द के स्थान पर सोहन लाल सामोटा
किया जाना उचित होगा।

LR-8
07/06/23

रिपोर्ट तहसीलदार, श्रीमाधोपुर


6-6-23

श्रीमानजी मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं भू.अ.नि. जाँच के माध्यम -
कोटडी सिमारला के खाता सं. - 103 के स्वामि का नाम -
शमोचन्द पुत्र मालीराम अशुद्ध दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी
एवं तलंगन पन्नावेजों के आधार पर स्वामि का नाम -
सोहन लाल सामोटा किया जाना उचित है।

आदेश

तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी कोटडी सिमारला, भू.अ. निरीक्षक जोरावर नगर एवं
तहसीलदार श्रीमाधोपुर जी अतिशय एवं संपन्न दस्तावेज तथा
आधार नार्ड, जनअधार नार्ड के राजस्व ग्राम कोटडी सिमारला के खाता सं.
103 में दर्ज स्वामि शमोचन्द पुत्र मालीराम के स्थान पर सोहनलाल सामोटा
दर्ज करवाना चाहता है। जवनी स्वामि के नाम में काफ़ी प्रिन्नता होने के
कारणना-पत्र खासिज किया जाता है।

शिविर पटवारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी-2023
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
पंचायत समिति- श्रीमाधोपुर



तहसीलदार श्रीमाधोपुर को जोरावर लेख है। श्रीमाधोपुर रिजर्व में दर्ज है।